अपील सूचना अधिकार संख्या 72/2020 (GCMS 2020/00124) डा. राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री फतेह सिंह भाटी निवासी माँ बाला सती लॉ एसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड़ विद्यालय रोड़, मुख्य बाजार, सरदारशहर, जिला चुरू (राज.)–331403 (मो. 94140-84114) बनाम अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.06.2020 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 250/– प्रतिदिन शास्ति अधिरोपित करने, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं प्रार्थी को क्षति पूर्ति दिलवाने और लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी :

1. आपके कार्यालय द्वारा पेट्रोल पम्पों की स्थापना से पूर्व किन–किन विभागों से अनापत्ति ली जाती है, उनका विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)
2. वर्ष 2019–20 में कुल कितने रिटेल आउटलेटों की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये उनकी प्रमाणित प्रतियां (दो प्रतियों में)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस न्यायालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1587 दिनांक 08.12.2020 से अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का न कोई जवाब प्रेषित किया है और न ही आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2020 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर निर्धारित समय अवधि में कोई उत्तर दिया गया है जो किसी प्रकार से उचित नहीं है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> <u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:52 IST
Reason: SelfAttested